

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(45)RSSB/अर्थना/त.शि./कनि.अनु./ 2016 /1273

दिनांक : 25/01/2019

—: संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति —:

कनिष्ठ अनुदेशक के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा-2018

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर के लिये राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न खण्डों के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 353 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 49 कुल 402 पदों के लिये विज्ञापन संख्या 08/2018 दिनांक 25.04.2018 को जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये गये थे।

कार्मिक(क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में कनिष्ठ अनुदेशक के निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) पुनः आमंत्रित किये जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इन पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिया है, उन्हें दुबारा ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग को 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 एवं दिनांक 20.10.2019 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये 04 प्रतिशत पदों की पालना में इन पदों का अब श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

1. कनिष्ठ अनुदेशक (मैकेनिक डीजल इंजन) (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-02

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
24	09	02	-	-	05	01	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	2	-	-	-

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	i.D, M.I, S.L.D. & AUTISM		
-	-	01	-	03	-

2. कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक) (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-04

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
29	08	02	-	-	05	01	-	-	04	-	-	-	05	01	-	-	01	-	-	-	2	-	-	-

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D. & AUTISM		
-	-	02	-	03	-

3. कनिष्ठ अनुदेशक (मैकेनिक रेफीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनर) (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

पद कोड संख्या-06

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
15	07	01	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D. & AUTISM		
-	-	01	-	01	-

4. कनिष्ठ अनुदेशक (वायरमैन) (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

पद कोड संख्या-08

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
24	06	01	-	-	05	01	-	-	04	01	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D. & AUTISM		
-	-	01	-	03	-

नोट :-

1. कनिष्ठ अनुदेशक (कार्यशाला गणना व विज्ञान) के पदों पर भर्ती हेतु अलग से विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

2. अनुसूचित क्षेत्र के पूर्व में विज्ञापित पदों के आरक्षित पदों के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र के पदों का वर्गीकरण पूर्व विज्ञापित के अनुसार यथावत रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था, वे अब आवेदन कर सकते हैं।
3. पदों की संख्या कमी/वृद्धि एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
4. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के लिये कोई भी पद आरक्षित नहीं है।
5. जिन अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 08/2018 दिनांक 25.04.2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं विशेष योग्यजन की नवीन श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं।
6. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिये पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी अर्थात् जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तें पुरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं।
7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा।

परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:—

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 26.10.2019 से 24.11.2019 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2019 से 24.11.2019 को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :— जिन अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 08/2018 दिनांक 25.04.2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। नये आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन दिनांक 25.11.2019 से दिनांक 01.12.2019 तक संशोधन शुल्क 300/— रुपये ऑनलाईन जमा करवा कर सकते हैं। पुराने आवेदक उपरोक्त श्रेणियों में संशोधन दिनांक 02.12.2019 से 08.12.2019 तक निःशुल्क कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की शेष शर्तें यथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताएँ, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पूर्व विज्ञापन संख्या 08/2018 दिनांक 25.04.2018 के अनुसार यथावत रहेगी।



(डॉ. बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष